

आदेश पत्रक - ता०.....

जिला.....

केस का प्रकार.....

## आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४९ का नियम १२९)

से.....

सं०....., सं० १९.....

तक

आदेश की रूपांक संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई <sup>३</sup> कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
--	--------------------------------	--

**आयुक्त व्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा****आबिद्रिशन वाद संख्या:- ४९/२०१९****कमलेश्वरी कामत.....आवेदनकर्ता****-बनाम-****राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट****-ः आदेश :-**

प्रस्तुत आबिद्रिशन वाद कमलेश्वरी कामत, पिता-रामप्रसाद कामत, सा०-मनौरी, थाना+पो०-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-१०७ (महेशखुट- सोनवर्षा राज- सहरसा- मधेपुरा- पूर्णियाँ खण्ड) के किलोमीटर ३०.१५० से किलोमीटर ८३.७५० तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किस्म “कृषि” निर्धारित करते हुए वाद सं०-०५/२०१४-१५, पंचाट संख्या-१० के तहत सूचित मुआवजा के विरुद्ध दायर किया गया है :-

**वादगत भूमि का विवरण निम्न है :-**

मौजा/वाना नं०	खाता सं०(पु०)	खेतरा सं०(पु०)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा (ए०)	मुआवजा	अभ्युक्ति
मनौरी/१०	२६२	१७७२	कृषि	८,५८,४६५	०.१२५३	२,४८,४८९	

आवेदक की ओर से दाखिल वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि वादगत भूमि उनके द्वारा बजारिये केवाला संख्या ९०९९ दिनांक २५.०७.२००५ से प्राप्त की गई है तथा वह उक्त भूमि पर अपना आवासीय घर बनाकर रहते आ रही है। आवेदक का वादगत भूमि सोलिंग सङ्क के किनारे है और आवासीय किस्म की है, किन्तु उनकी भूमि का किस्म “कृषि” निर्धारित कर मो० ८,५८४.६५ रु० प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर निर्धारित कर मुआवजा हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के अनुसार वर्ष २०१४-१५ के MVR के अनुसार मौजा-मनौरी के आवासीय सङ्क किनारे की भूमि का मूल्य ७०,०००/- रुपया प्रति डिसमिल निर्धारित था, जिसपर वर्तमान २५% अधिक की दर से मूल्यांकन निर्धारित की जाती

है तदनुसार  $70,000 + 17,500 = 87,500 \times 4 = 3,50,000$  प्रति डिसमिल मुआवजा निर्धारित करने का दावा किया गया है। उक्त के आलोक में आवेदक के द्वारा उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा को गलत मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बताया गया है। आवेदक के अनुसार NH-107 सड़क निर्माण हेतु प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-1772 को “आवासीय” जमीन के रूप में प्रकाशित किया गया, किन्तु भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मनमाने ढंग से भूमि का किस्म / प्रकृति “कृषि” निर्धारित किया गया। उनका कहना है कि उनके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त दूसरी भूमि आवासीय रूप में नहीं है। तदालोक में उनके द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि का किस्म “आवासीय” निर्धारित करते हुए मुआवजा भुगतान हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act- 1956 की धारा 3A के तहत दिनांक 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-1772 का किस्म / प्रकृति “आवासीय” दर्ज है तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 में भी किस्म / प्रकृति “आवासीय” दर्ज है। समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू030 दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्व सिन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-मनौरी/10 अन्तर्गत स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में भूमि का किस्म/प्रकृति “कृषि” प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act- 1956 की धारा 3G के तहत मौजा-मनौरी/10 के अंकित खेसरों का, संशोधित प्राक्कलन दिनांक 06.09.2018 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHAI से स्वीकृत्योपरान्त पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन के आलोक छ: सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनः स्थल जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में वर्णित खेसरा का का किस्म / प्रकृति “कृषि” दर्ज है। रिवीजन सर्वे खतियान में भी मौजा-मनौरी खाता-262, खेसरा-1772 का किस्म धनहर-2 दर्ज है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा निर्धारण से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाब में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा NHAI को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि की किस्म / प्रकृति धारा-3A गजट अधिसूचना में “आवासीय” प्रकाशित किया गया तथा छ: सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि का स्वरूप “कृषि” प्रतिवेदित किया गया।

*Gaurav*

उनका कहना है कि अधिग्रहण के समय प्रश्नगत भूमि का स्वरूप पूर्णतया कृषि था। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय होने के संबंध में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस व्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किस्म परिवर्तन तथा मुआवजा पुनरीक्षण के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक का पक्ष सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि RFCTLARR Act-2013 की धारा-23 के अनुसार जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण में अर्जनाधीन प्रश्नगत भूमि, जो सोनवर्षा बायपास हेतु वर्तमान एन0एच0-107 के पूरब अवस्थित है तथा जिसका स्वरूप “कृषि” है। उक्त भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण RFCTLARR Act- 2013 की धारा-26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में “कृषि” श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर समाहर्ता, सहरसा के अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित दर से सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो नियमानुकूल है। स्पष्टतः यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था तथा उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के दर को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में निबंधित विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है, जो RFCTLARR Act-2013 के Sec-26 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरान्त “कृषि” श्रेणी की भूमि के रूप में प्रतिकर निर्धारित किया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

*Gaurav Patel*  
आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

*Gaurav Patel*  
आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक ४४ /विधि

सहरसा, दिनांक ०५-१-२०२४

प्रतिलिपि:-

समाहर्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा  
आबिद्रेशन वाद सं-४९/२०१९ में दिनांक-०४.०१.२०२४ को पारित आदेश की प्रति  
आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसरित किया जाता है।

प्रतिलिपि:-

परियोजना निदेशक, एवं ०१८००३००३००, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

कमलेश्वरी कामत, पिता-रामप्रसाद कामत, सा०-मनौरी, थाना+पो०-सोनवर्षा राज,  
जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।